10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम –2013

माता–पिता / अभिभावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता

01. मै.. माता–पिता / अभिभावक .... (नीट यू0जी0 2023 अनुक्रमांक .... मेरिट..................), जिसके पुत्र / पुत्री को राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में प्रवेश दिया गया है, इसे उच्च शैक्षिक संस्थानो मे 2009 में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से सम्बद्व यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगें) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों से समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।

02. मैने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।

03. मैने विनियमो की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मै पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग मे सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया / पाई जाता / जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता / होती है तो उस स्थिति में उसके विरूद्व जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही का वह भागीदार होगा / होगी, वह मेरे संज्ञान में है।

04. मै एततद्द्वारा सत्यनिष्ठा रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि–

(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख) मेरी संतान जानबूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगा / करेगी जिसे इन विनियमो की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

05. एतद्द्वारा मै यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाता / जाती है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरूद्व किसी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।

06. एतद्द्वारा मै यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने की अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई / हुआ है तथा मै यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया .... दिन 2023

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नम..

(रू0 10/– के शपथ पत्र पर)

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैंगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम–2003

छात्र का आश्वासन

01. मै...पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमति..............................(नीट यू0जी0 20........, रोल न0....................ऑल इण्डिया रैंक..................) जिसे राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यू0जी0सी0 विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है।

02. मैने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैंगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित है।

03. मैने विनियमों की धारा 7 एवं 9,1 को भी विशेष रूप से पढ़ा हूँ तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ, जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मै रैंगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ।

04. मै एतद् द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि–

(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नही होऊगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग के रूप में माना जा सकता है।

(ख) मै ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड़यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग के रूप में माना गया है।

05. मै एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मै दोषी पाया/पायी जाती हूँ तो इन विनियमों की धारा 9,1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरूद्ध की जा सकती है।

06. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने मुझे रैंगिंग के षड़यत्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है और मै यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गयी यह घोषणा असत्य पायी जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरे प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

घोषित किया गया..............................दिन............................2023

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम............................